In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-133/2017 | 195/17

17.09.2021	आज Physical Court है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते है कि वादी की ओर से मूल विक्रय पत्र दिनांक 20.03.1989 दाखिल किया गया है जिसे न्यायालयग द्वारा प्रदर्श '1' अंकित किया गया है। अत: आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए मूल विक्रय पत्र दिनांक 20.03.1989 को वापस किया जाए। वादी की ओर से उक्त विक्रय पत्र की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादी संख्या (2) उपस्थित हुए है तथा लिखित कथन दाखिल नहीं किया है तथा प्रतिवादी (2) में लिखित कथन दाखिल करने से वंचित किया गया। एवं प्रतिवादी(1) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई जारी है। तथा वाद U/o 8 Rule 10 में Proceed है। तथा वाद वादी को बहस हेतू चला आ रहा है। अत: वादी का आवेदन पत्र [illegible] इस आशय के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यदि न्यायालय को आवश्यकता होगी तो मूल विक्रय पत्र दिनांक 20.03.1989 को न्यायालय में जमा कर देंगे। कार्यालय लिपिक नियमानुसार मूल कागजात वादी को दे। वाद दिनांक 21.10.21 वास्ते प्रस्तुत करे। अवर न्यायाधीश, प्रथम	